

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—ज्येष्ठ 3, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 मई 2013

सूचना

क्र. 2539-नगानि-368-वियो-2013.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डीदीप निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 14 के अधीन तैयार कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. जिला कलेक्टर, रायसेन
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, मण्डीदीप
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में प्रदर्शनी स्थल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. एफ. 3-62-बत्तीस-2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-2539-नगानि-368-वियो-2013, दिनांक 17 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

Bhopal, the 17th May 2013

NOTICE

No. 2539-MPS-368-2013.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Mandideep Planning Area has been prepared under the provision of Section 14 and published on dated 24th May 2013 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection at :—

1. Collector, District Raisen
2. C. M. O. Municipal Council, Mandideep
3. Assistant Director, Town & Country Planning, Distt. Office Vidisha during office hours.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the venue place or Assistant Director, Town & Country Planning, Vidisha before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

GULSHAN BAMRA, Commissioner-cum-Director.